

4-6-25 पशावली पेशी में ली गई।

श्यामी विरेन्द्र सिंह ने प्रार्थना पत्र
पेश कर निवेदन किया कि वाद

पत्र को चलाना नहीं चाहते

हैं इसलिए खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

दस्तावेज वाद पत्र खारिज किया

जाता है। पशावली दालिल बफलड

के आदेश सुनाया गया।

क.कं.
सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

